Saroj .saroj letters-24

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः– एफ.5( )आ.जा. / ऑडिट / ICDS / 2014 203162–195 जयपुर, दिनांकः 29/11/18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय :– भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक–एफ5( )महा. / समीक्षा / मबावि / 2015 / 86307–339 दिनांक 02.06.17, 114957–5262 दिनांक 27.07.17, 173575–547 दिनांक 09.11.2017, 196175–207 दिनांक 18.12.2017 8844–76 दिनांक 11.01.2018, 63872–904 दिनांक 19.04.2018, 153229–261 दिनांक 27.08.2018 एवं 194016–049 दिनांक 02.11.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय के निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना निर्धारित समयावधि (दो माह) में नहीं भिजवायी गयी है, जो राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। दिनांक 13.11.2018 को आयोजित ऑडिट कमेटी की बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदया ने निर्धारित समयावधि में बकाया अनुपालना नहीं भिजवाने को गम्भीरता से लिया जाकर शीघ्र बकाया अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के बकाया समस्त अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के दस्तावेजों को संलग्न कराकर आपकी स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर, दो प्रतियों में लेखाकर्मी / संबंधित कार्मिक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होगें। पूर्व में भेजी गई अनुपालना की छाया प्रतियां किसी भी स्थिति में नहीं भिजवायें, नये सिरे से आक्षेपानुसार अनुपालना तैयार करके ही भिजवाया जावें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक –एफ.5( )आ.जा. / ऑडिट / ICDS / 2014 203196–499 जयपुर, दिनांकः 29/11/18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के आवश्यक दस्तावेजों सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

वित्तीय सलाहकार